Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में सत्र न्यायालय की तामील शाखा का सहायक कर्मचारी 4 हजार 500 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

जयपुर, *05 फरवरी, सोमवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.) जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **राजेन्द्र कुमार मीणा सहायक कर्मचारी, तामील शाखा, जिला एवं सत्र न्यायालय, जयपुर** को परिवादी से **4 हजार** 500 **रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.) जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का तामील करवाने की एवज में उपर्युक्त आरोपी कर्मचारी द्वारा **10 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई (एस.आई.यू.) के **प्रभारी पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी कर्मचारी को परिवादी से **4 हजार** 500 **रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**